

तारीख-११-२५

0 नं - 03/2023

सम्मान - कमला बनन मिलाडी ज्यो
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

जद अहवाल

दिनांक

११/२५

प्रार्थी की ओर से श्री विजय भारती एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राइटिंगरज के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक प्रतीय बहस पुनी गई। प्रार्थी की एकप्रतीय बहस पर नमन किया प्रभावली का अवलोकन किया। गैरलायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिने बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से खबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीनाग को तहसील क्षेत्र टोंडनीम को जारी तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोंडनीम से बाहर के नोटिस जारी रजिस्टर्ड रडो से तलब होकर प्रभावली दिनांक 14.02.2024 को पेश हो।

134-23
१-१-२५

(५)
सुनीता मेनी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोंडनीम जिला गंगापूर सिटी

142/24 प्रभावली पेश हुई। प्रार्थी कनीस उपस्थित। अपार्थी नं 1 लगा 5, 7 लगा 12 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडो ने कबालतनाग पेश किया। जो शामिल प्रभावली रहे। एवं अपार्थी नं 6 के नोटिस तामील विधिवत नहीं उत्तर है। युनः नोटिस पेश करने के लिए प्रार्थी कनीस को तिजायत डी गई। वस्तु तलबी एवं अडाव पेश करने दिनांक 25-2-24 को पेश हो।

(५)

28/24 कडे कबालत/कनीस अद पद अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत प्रभावली पुनर्वि की इतिहास के अन्तर्गत पठारे हो।
पत्रावली पत्रावली दिनांक 1.4.24 को पेश हो।

(५)

14/24 कडे कबालत/कनीस अद पद अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत प्रभावली पुनर्वि का.म. के अन्तर्गत हो।
पत्रावली पत्रावली दिनांक 1.5.24 को पेश हो।

(५)



पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील उपस्थित
 कक्षा की वकील को जवाब पेश करने की
 दिशा में ही गई। गाँव जवाब दिनांक
 9-9-24 को पेश हो। पुनश्च इतना लिखने
 उपरान्त इसे श्री पत्रावली का कक्ष के मन्त्रिणा
 कक्षा की नं०। दिनांक 5 मध्य 7 लगाकर 12
 की ओर से श्री सुरेश चंड शर्मा मुंडा से
 जवाब पेश किया जो शाहील पत्रावली की
 कार्टे वरुदा दिनांक 09-9-24 को पेश हो।

(8)

9/ वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी..... इतना लिखना ही है।
 पत्रावली गतानुसार दिनांक..... 9:10:24
 को पेश हो।

10/ वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी..... इतना लिखना ही है।
 पत्रावली गतानुसार दिनांक..... 24:10:24
 को पेश हो।

11/ पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील सुव
 प्राची को ही उपस्थित नहीं हुआ।
 बार कावा ज दिनांक 10-9-24 को इसके उपरान्त
 श्री प्राची सुव प्राची वकील को ही
 उपस्थित नहीं हुआ। इससे प्राची
 वकील को काम पेशी काम प्राची
 के प्राची का प्राचीना पत्र कावासी
 निवे-खाहा वरुदा दिनांक 10-9-24